भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management

दूसरी मंजिल, नॉर्थ विंग 2nd Floor, North Wing
विक्रम साराभाई भवन Vikram Sarabhai Bhavan
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar
मुंबई Mumbai – 400094

No. निसेसंप्रनि DCSEM/ सा Gen/13(2)/2001/214 मई May 21, 2026

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

विषय: भंडार हेतु स्थायी सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन
Sub: Re-constitution of Standing Survey Committee for Stores

इस निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या डीसीएसईएम/जनरल/13(2)/2001/403 दिनांक 30.10.2025 के अधिक्रमण में, स्टोर्स के लिए स्थायी सर्वेक्षण समिति की संरचना निम्नानुसार होगी |
In supersession of this Directorate's Office Order No. DCSEM/Gen/13(2)/2001/403 dated 30.10.2025, the composition of the Standing Survey Committee for Stores will be as follows :

क्र.सं. SN	नाम एवं पदनाम Name & Designation	समिति में पद Position in the Committee
1	मुख्य अभियंता (ईएसजी), निसेसंप्रनि Chief Engineer (ESG), DCSEM	अध्यक्ष Chairman
3	प्रमुख (ईएंडआईटीएसडी), निसेसंप्रनि/ Head (E&ITSD), DCSEM	सदस्य Member
2	प्रमुख, ईएमपीडी, निसेसंप्रनि/ Head, EMPD, DCSEM	सदस्य Member
4	प्रमुख, ईएसडी-II, निसेसंप्रनि/ Head, ESD-II, DCSEM	सदस्य Member
5	प्रमुख, यांत्रिक प्रभाग, भारी पानी बोर्ड / Head, Mech. Division, HWB	सदस्य Member
6	उप. निदेशक, केंद्रीय भंडार इकाई, क्रभनि/ Dy. Director, Central Stores Unit, DPS	सदस्य Member
7	वरिष्ठ लेखा कार्यालय, निसेसंप्रनि/ Senior Accounts Officer, DCSEM	सदस्य Member
8	सहायक भंडार अधिकारी, क्षेत्रीय भंडार, निसेसंप्रनि/ Asstt. Stores Officer, Zonal Stores, DCSEM	संयोजक Convener

समिति स्टॉक में रखे गए सभी सामानों की समीक्षा करने तथा उनके अंतिम निपटान के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
The committee will meet at least once in a quarter to review all the articles held in stock and make suitable recommendations for their ultimate disposal.

.....2

समिति अपनी सामान्य बैठकों के दौरान, किसी भी ऐसे स्टोर उपकरण, संयंत्र या मशीनरी को बचाने के लिए किसी अन्य प्रस्ताव पर भी विचार करेगी, जो अपने सामान्य जीवन से बाहर हो चुके हैं और निदेशक, डीसीएसईएम की मंजूरी से उन्हें नष्ट करने या निंदा करने के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति सामग्री के उचित भंडारण के लिए समय पर सुझाव भी देगी। समिति के अध्यक्ष उचित कामकाज के लिए आवश्यक समझे जाने पर किसी भी अतिरिक्त सदस्य को सहयोजित कर सकते हैं।

The Committee will also, during its normal sittings, consider any other proposals for salvaging of any stores equipment, plants or machinery which have outlived their normal lives and make suitable recommendation for their scrapping or condemnation with the approval of the Director, DCSEM. The Committee will also make timely suggestions for proper storing of materials. The Chairman of the Committee may co-opt any additional member(s) as and when considered necessary for proper functioning.

समिति के संयोजक बैठक की तिथि के एक सप्ताह के भीतर बैठक का विवरण निदेशक, डीसीएसईएम को प्रस्तुत करेंगे।

The Convener of the Committee will submit the Minutes of Meeting to Director, DCSEM within a week after the date of the meeting.

यह निदेशक, डीसीएसईएम के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Director, DCSEM.

21.5.2026

(एस. एस. गोंडाणे /S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
Chief Administrative Officer

वितरण/ Distribution:

समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य/ Chairman & Members of Committee

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. निदेशक कार्यालय, निसेसंप्रनि / Director's Office, DCSEM
2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड / Chairman & Chief Executive, HWB
3. निदेशक, क्रभनि / Director, DPS
4. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), निसेसंप्रनि / JC(F&A), DCSEM